[1996] 1 उम०नि०प० 16

आर० के० सबरवाल और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

10 फरवरी, 1995

माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति एस० मोहन, न्यायमूर्ति एम० के० मुखर्जी, न्यायमूर्ति बी० एल० हंसारिया और न्यायमूर्ति एस० बी० मजमूदार

सेवा विधि—सपठित पंजाब सरकार के तारीख 4-5-1974 के अनुदेश तथा पंजाब सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास I पी०डब्ल्यू०डी० (आई०बी०) रूल्स, 1964, नियम 9 —नियुक्ति—प्रोन्नति—आरक्षण—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग—आरक्षित अंकों को उपदर्शित करने वाला रोस्टर वार्षिक रूप से चालू लेखे के रूप में लागू किया जाना सरकारी अनुदेशों द्वारा अपेक्षित—प्रवर्तन की अवधि—ऐसे रोस्टर का उस काडर में समस्त अंकों के भरे जाने तक और अनुदेशों द्वारा विहित कोटा अभिप्राप्त किए जाने तक न कि उसके पश्चात् प्रवर्तित रहना अभिनिर्धारित—पश्चात्वर्ती रिक्तियां उन प्रवर्गों से भरी जानी हैं जिनके लिए रोस्टर में वे पद हैं अलबत्ता रोस्टर अंक पर किसी आरक्षित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में उस अंक को अग्रेषित किया जा सकता है—इस विनिश्चय का भूतलक्षी रूप से प्रवर्तित किया जाना निर्देशित।

सेवा विधि—सपठित पंजाव सरकार के अनुदेश तारीख 4-5-1974 तथा पंजाब सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास I पी०डब्ल्यू०डी० (आई०बी०) रूल्स, 1964, नियम 9 और भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 16(4)—नियुक्ति—प्रोन्नति—आरक्षण की प्रतिशत की संगणना—प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त-प्रोन्नत किए गए आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या को आरक्षण की विहित प्रतिशत निकालने में लेखे में न लिया जाना- रोस्टर में उपदर्शित आरक्षित अंकों को अनन्य रूप से आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाना है।

सेवा विधि—नियुक्ति प्रोन्नति—आरक्षण की प्रतिशत की संगणना—यह अभिनिर्धारित किया गया कि उस काडर में आने वाले पदों की संख्या के संबंध में न कि रिक्तियों के संबंध में की जानी है।

याची और प्रत्यर्थी 4, 5 और 6 पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग में पंजाब इंजीनियरी सेवा (वर्ग I) सेवा के सदस्य हैं। प्रत्यर्थी अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं जबकि याची सामान्य प्रवर्ग के हैं। सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें पंजाब इंजीनियर सेवा वर्ग I पी०डब्ल्यू०डी० (आई०बी०) नियम, 1964 कहलाए जाने वाले नियमों द्वारा शासित होती है। पंजाब सरकार ने तारीख 4 मई, 1974 के अनुदेशों द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवाओं के लिए और के भीतर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध्र किया था। उक्त अनुदेशों के अन्तर्गत यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पदों का 10 प्रतिशत जो प्रोन्नति द्वारा भारा जाना था, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया था। (अनुसूचित जातियों के लिए 14 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 2 प्रतिशत) है इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि विचाराधीन व्यक्तियों का आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं और सेवा का संतोषपूर्ण अभिलेख रखा होना चाहिए। रिट याचिका में यह कथन किया गया है कि याची क्रम सं० 19, 23, 26, 29, 30, 31, 34 और 38 पर हैं जबकि प्रत्यर्थी क्रम सं० 40, 140 और 152 पर हैं। प्रत्यर्थी रतन सिंह को 36 ज्येष्ठ साथियों को जिसमें याची सम्मिलित हैं अतिष्ठित करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद पर मुख्य इंजीनियर के रैंक के लिए प्रोन्नत किया गया था। इसी प्रकार से प्रत्यर्थी सुरजीत सिंह और ओमप्रकाश को क्रमशः 82 और 87 ज्येष्ठ साथियों को अतिष्ठित करके आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण इंजीनियरों के रूप में प्रोन्नत किया गया था। याचियों के अनुसार प्रोन्नति के समय यह प्रत्यर्थी पहले ही से अनेक वर्षों से अधीक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। याचिका में आगे यह प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी 4, 5 और 6 वस्तुतः उस समय कार्यपालक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा था जब याची अधीक्षण इंजीनियरों का पद धारण किए हुए थे। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर याचियों ने अनेक आधारों पर आरक्षण नीति को आक्षेपित किया है जिसका निपटारा करते हुए न्यायालय द्वारा,

अभिनिर्धारित—जब किसी काडर में पदों की कुल सं० रोस्टर के प्रवर्तन द्वारा भरी जाती है, तब आक्षेपित अनुदेशों द्वारा अनुध्यात परिणाम प्राप्त हो जाता है। "चालू लेखा" आक्षेपित अनुदेशों के अन्तर्गत उपबंधित कोटे तक पहुंचने तक ही प्रवर्तित होता है और उसके पश्चात् नहीं होता है। आरंभिक पदों के भरे जाने के पश्चात् उस काडर में उद्भूत होने वाली रिक्तियां कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगी। जैसे और जब किसी विशेष पद में कोई रिक्ति होती है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी उसे उस प्रवर्ग में से भरा जाता है जिसके लिए रोस्टर में वह पद था। तथापि रोस्टर के अंक पर किसी आरक्षित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, राज्य सरकार को एक न्यायोचित और उचित तरीके से उस अंक को अग्रेषित करने की छूट होगी। इस प्रश्न पर विनिश्चय भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित होंगे। (पैरा 5, 10 और 11)

जब किसी विशेष काडर के संबंध में आरक्षण की परिस्थिति नियत की जाती है और रोस्टर रिजर्व अंकों को उपदर्शित करता है तो यह समझा जाता है कि रिजर्व अंकों पर दर्शित पद आरक्षित प्रवर्ग

के सदस्यों में से भरे जाने हैं और सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी गैर आरक्षित पदों के लिए प्रतियोगी हो सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की दशा में उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और आरक्षण की प्रतिशत निकालने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राज्य सरकार को नियुक्तियों अथवा पदों के किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में जिसका उस राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, के आरक्षित करने के लिए उपबंध करने की अनुमति देता है। अतएव राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछड़े वर्ग/वर्गों का, जिनके लिए आरक्षण किया गया है, राज्य सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। ऐसा करते हुए राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या और उस राज्य की सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख सकेगी। जब राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् आरक्षण करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने के लिए पदों की प्रतिशत तक उपबंध करती है तब उस प्रतिशत का सख्ती के साथ अनुसरण किया जाना होता है। यह विहित की गई प्रतिशत में मात्र इस कारण फेरफार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/प्रोन्नत कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था। रोस्टर अंक जो किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, उक्त वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति के द्वारा भरा जाना है। सामान्य प्रवर्ग के किसी अभ्यर्थी को उस पद के विरुद्ध जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के विरुद्ध की गई है, उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार के लिए एक सुसंगत तथ्य हो सकेगा। किंतु जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कतिपय प्रतिशत का उपबंध करने वाले अनुदेश, नियम प्रवर्तित हैं, उनका अनुपालन किया जाना है। सामान्य प्रवर्ग के पदों के विरुद्ध पिछड़े वर्गों के किसी भी संख्या में नियुक्त किए जाने वाले और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद दी गई प्रतिशत का उसके अतिरिक्त उपबंध किया जाना है। अतएव न्यायालय विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई प्रथम दलील में कोई बल नहीं पाता है और उसे रद्द करता है। (पैरा 4)

"पद" और "रिक्तियां" अभिव्यक्ति या अभिव्यक्तियों का प्रयोग आरक्षण के लिए उपबंध करने वाले कार्यपालक अनुदेशों में किया जाता है जो अधिक समस्यापूर्ण है। "पद" शब्द से कोई नियुक्ति, सेवा, कार्यालय अथवा नियोजन अभिप्रेत है। एक हैसियत जिसमें किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। "रिक्ति" से कोई अनधिकृत पद या कार्यालय अभिप्रेत है। इन 2 अभिव्यक्तियों के साधारण अर्थ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि "रिक्ति" होने के समर्थ बनाने के लिए कोई "पद" अस्तित्व में होना चाहिए। काडर-स्ट्रेंग्थ का मापमान सदैव उस काडर में आने वाले पदों की संख्या से किया जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार के लिए दावा केवल किसी काडर में किसी पद के संबंध में किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आरक्षण का प्रतिशत उन पदों की संख्या के संबंध में निकाला जाता है जो काडर-स्ट्रेंग्थ गठित करते हैं। "रिक्ति" की धारणा आरक्षण के प्रतिशत को प्रवर्तित करने में सुसंगत नहीं है। (पैरा 6)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1993]	ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 677 : **इंदिरा साहनी** बनाम **भारत संघ**;	7
[1989]	1989 (4) एस०एल०आर० 257 : **जसवंत सिंह** बनाम **सचिव, सरकार, पंजाब शिक्षा विभाग**;	3
[1982]	1982 (2) एस०एल०आर० 307 : **जोगिन्द्र सिंह सेठी और अन्य** बनाम **पंजाव सरकार और अन्य**;	3
[1978]	1978 (2) एस०एल०आर० 844 : **जे०सी० मलिक और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**।	9

सिविल मूल अधिकारिता : 1979 की रिट याचिका (ग) सं० 79.

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से श्री वी०आर० रेड्डी, अपर महासालिसिटर, जी०के० चतरत महालेखाकार, श्री हरीश एन० साल्वे, पंजाब श्री अरुण जेटली, श्री राजीव धवन, डा० आनंद प्रकाश शर्मा, श्री वी०सी० महाजन, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री एस०एन० झा, सर्वश्री डी०. गोवर्धन, आर०पी० सिंह, उग्र शंकर प्रसाद, वसीम ए० कादरी, श्री अशोक के० श्रीवास्तव, डी०एस० मेहरा, सुश्री अनिल कटियार, सुश्री ए० सुभाषिनी, श्री अरविंद के० शर्मा, सुश्री इंदु गोस्वामी, श्री राजीव के० गर्ग, सुश्री मिनाक्षी ग्रोवर, सुश्री मोनिका गोयल, श्री के०आर० नागराजा, श्री आर० सथाना कृष्ण, श्री पी०के० राव, श्री वी०एस० चौहान, (श्री साकेश कुमार), श्री एस० के० अग्निहोत्री, श्री आर०एस० सूरी, श्री टी० टोबगे, श्री रोहित, श्री कृष्ण अग्रवाल, श्री पी०एच० पारेख, श्री एस०

फजल, सुश्री नीना गुप्ता, श्री विनीत कुमार, श्री अरविंद मिनोचा, श्री एस०के० मेहता, श्री बी०डी० शर्मा, श्री एस०एस० खंडुजा, श्री आर० नागरत्नम, श्री मदन मोहन लाल श्रीवास्तवा, सुश्री एस० बग्गा, मैसर्स हीरानंदिनी, सेठी एंड कंपनी, श्री एस०एस० भासमे, श्री एस०वी० तबवेकर, श्री एस०के० वर्मा, श्री देवी डी० शर्मा, श्री ए०टी०एम० सम्पत, श्री डी०एन० मिश्रा, मैसर्स जे०बी०डी० कंपनी, श्री के०बी० रोहतगी, श्री डी०बी० वोहरा, श्री प्रेम मल्होत्रा, श्री सी०वी० रप्पई, श्री सी०एस०एस० राव, सुश्री सुषमा सूरी, श्री एस० मुरलीधर, श्री शकील अहमद सय्यद, श्री बी०के० प्रसाद, श्री पी० परमेश्वरन, श्री सय्यद शोकत हुसैन, श्री मुकुल मुदगल, श्री एस० श्रीनिवासन, श्री श्याम नारायण सिंह, श्री मरयरपुथ्रयाम, श्री बी०एस० गुप्ता, श्री राजेश और वी०के० वर्मा।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्या० कुलदीप सिंह ने दिया।

न्या० सिंह — याची और प्रत्यर्थी 4, 5 और 6 पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग में पंजाब इंजीनियरी सेवा (वर्ग 1) (सेवा के सदस्य हैं) प्रत्यर्थी अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं जबकि याची सामान्य प्रवर्ग के हैं। सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें पंजाब इंजीनियर सेवा वर्ग 1 पी०डब्ल्यू०डी० (आई०बी०) नियम, 1964 (नियम) कहलाए जाने वाले नियमों द्वारा शासित होती है। पंजाब सरकार ने तारीख 4 मई, 1974 के अनुदेशों द्वारा राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवाओं के लिए और के भीतर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध किया था। उक्त अनुदेशों के अन्तर्गत यह अधिकथित किया गया था कि पदों का 10 प्रतिशत जो प्रोन्नति द्वारा भरा जाना था, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया था। (अनुसूचित जातियों के लिए 14 प्रतिशत और पिछड़े वर्गों के लिए 2 प्रतिशत) इन शर्तों के अधीन रहते हुए कि विचाराधीन व्यक्तियों को आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं और सेवा का संतोषपूर्ण अभिलेख रखना चाहिए। इन अनुदेशों में आगे इस प्रकार उपबंध किया गया था जो नीचे दिया गया है—

"(i) समय-समय पर होने वाली 100 रिक्तियों की एक लाट में जो नीचे वर्णित क्रम संख्या पर आने वाली है उन्हें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होने के रूप में बरता जाना चाहिए,

1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87, 91 और इसी प्रकार से 1 क्रम संख्या 26 और 76 पर आने वाली रिक्तियां पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित के रूप में बरती जानी चाहिए।

(ii) विहित आरक्षण को प्रत्येक विभाग में रखे जाने वाले रोस्टर के अनुसार प्रभावी किया जाएगा। इस उपबंध को वर्षानुवर्ष एक चालू लेखे के प्ररूप में लागू किया जाएगा।".

नियमों के नियम 9 में जिसमें सेवा के भीतर प्रोन्नति के लिए उपबंध किया गया है उसका पाठ इस प्रकार नीचे किया जा सकता है—

"सेवा के भीतर प्रोन्नति :

(i) नियम 2 और 3 के उपबंधों के अध्यधीन सेवा के सदस्य किसी पद पर अर्थात् कार्यपालक इंजीनियर, अधीक्षण इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के लिए प्रोन्नति के पात्र होंगे :

परन्तु सेवा का कोई सदस्य जिसके मामले में नियम 6 के खंड (क) में वर्णित अर्हताएं अधित्यजित कर दी गई हैं अधीक्षण इंजीनियर या उसके ऊपर के पद पर प्रोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आवश्यक अर्हता अर्जित न कर ली हो।

स्पष्टीकरण :—जब किसी अधिकारी को सेवा का सदस्य नियोजित किया गया हो तब उसके भीतर उसकी प्रोन्नति एक रैंक से दूसरे रैंक पर उसी काडर के भीतर प्रोन्नति समझी जाएगी।

(2) प्रोन्नतियां गुणागुणों और सभी पहलुओं से उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी और सेवा के किसी सदस्य का अधिकार के तौर पर अथवा मात्र ज्येष्ठता के आधार पर ऐसी प्रोन्नति के लिए कोई दावा नहीं होगा।

(3) सेवा का कोई सदस्य नीचे दिए गए रैंक के लिए प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा।

(क) कार्यपालक इंजीनियर, जब तक कि उसने सहायक कार्यपालक इंजीनियर के रूप में 5 वर्ष की सेवा न की हो;

परन्तु यह कि कोई अधिकारी जिसने सहायक कार्यपालक के रूप में 6 वर्ष या उससे अधिक सेवा की है जब तक उसे प्रोन्नति के लिए अनुपयुक्त न समझा जाए, उसे पात्र होने वाले वर्ग 2 अधिकारी पर ऐसी प्रोन्नति के लिए अधिमान दिया जाएगा,

(ख) अधीक्षण इंजीनियर, जब तक कि उसने एक कार्यपालक के रूप में 7 वर्ष की सेवा न की हो;

(ग) मुख्य इंजीनियर, जब तक कि उसने अधीक्षण इंजीनियर के रूप में 3 वर्ष की सेवा न की हो;

परन्तु यह कि यदि लोक हित में किसी अधिकारी की प्रोन्नति करना आवश्यक प्रतीत हो तो सरकार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से या तो सामान्य रूप से एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा किसी व्यक्तिगत मामले में खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि को ऐसे विस्तार तक घटा सकेगी जो वह उचित समझे।"

रिट याचिका में यह कथन किया गया है कि याची क्रम संख्या 19, 23, 26, 29, 30, 31, 34 और 38 पर हैं जबकि प्रत्यर्थी क्रम संख्या 46, 140 और 152 पर हैं। प्रत्यर्थी रतन सिंह को 36 ज्येष्ठ साथियों से जिसमें याची सम्मिलित हैं अतिष्ठित करके अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद पर मुख्य इंजीनियर के रैंक के लिए प्रोन्नत किया गया था। इसी प्रकार से प्रत्यर्थी सुरजीत सिंह और ओमप्रकाश को क्रमशः 82 और 87 ज्येष्ठ साथियों को अतिष्ठित करके आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अधीक्षण इंजीनियरों के रूप में प्रोन्नत किया गया था। याचियों के अनुसार प्रोन्नति के समय यह प्रत्यर्थी पहले ही से अनेक वर्षों से अधीक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। याचिका में आगे यह प्रकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी 4, 5 और 6 वस्तुतः उस समय कार्यपालक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा था जब याची अधीक्षण इंजीनियरों का पद धारण किए हुए थे।

2. पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर याचियों ने अनेक आधारों पर आरक्षण नीति को आक्षेपित किया है किंतु याचियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री हरीश साल्वे ने निम्नलिखित 2 मुद्दों तक तर्कों को सीमित रखा है :—

(1) आरक्षण का उद्देश्य सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का उपबंध करना है और इस प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपबंध करने वाला कोई भी तर्क उस उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की याचना की गई है। यथार्थ तर्क यह है कि उस आरक्षण का प्रतिशत निकालने के लिए अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के प्रोन्नत किए जाने वाले/नियुक्त किए जाने वालों की, चाहे सामान्य प्रवर्ग के पदों के विरुद्ध अथवा आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए हों संगणना की जानी है। दूसरे शब्दों में यदि अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की 14 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति/प्रोन्नति एक काडर में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से मुकाबला करके स्वयं अपने गुणागुणों पर ज्येष्ठता के आधार पर की गई है तब उक्त काडर में आरक्षण का प्रयोजन पर्याप्त हो जाने के कारण आरक्षणों का उपबंध करने वाले सरकारी अनुदेश अप्रवर्तनीय हो जाएंगे।

(2) रोस्टर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रखे गए पदों के एक बार भरे जाने पर आरक्षण पूरा हो जाता है। रोस्टर को इसके आगे प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है और उसे रोक देना चाहिए। तत्पश्चात् किसी काडर में रिक्त होने वाला कोई पद सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण-आरक्षित या सामान्य-प्रवर्ग से जिसके सदस्य का पद खाली होता है, भरी जानी है।

3. प्रथम प्रश्न पर प्रकथन करते हुए श्री हरीश साल्वे और राजीव धवन, याचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेलों ने यह दलील दी है कि किसी काडर में आरक्षित प्रवर्गों के प्रोन्नत किए जाने वालों के लिए नियुक्त किए जाने वालों की कुल संख्या आरक्षण का विहित प्रतिशत निकालने के लिए संगणित की जानी है। विद्वान् काउंसेल के अनुसार आरक्षित प्रवर्ग उनके पक्ष में किए गए आरक्षण का सेवा में उनका आरक्षण किए जाने तक—जिसमें वे आते हैं जो सामान्य प्रवर्ग के पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए हैं—विहित प्रतिशत पर पहुंचने तक, आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। यह प्रतिशत निकालने के लिए सेवा में आरक्षित प्रवर्गों के प्रोन्नत किए जाने वालों और नियुक्त किए जाने वालों की, चाहे आरक्षित पदों या सामान्य प्रवर्ग के हों, संगणना की जानी है। **जोगिन्द्र सिंह सेठी और अन्य** बनाम **पंजाब सरकार और अन्य** [1] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन दिया गया है। उक्त मामले में 22 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए किया गया था। इस काडर में 20 तक पदों की संख्या में अनुसूचित जातियों के सदस्य 42 पदों के लिए हकदार थे। इस काडर में उक्त प्रवर्ग के पहले ही 47 थे किन्तु उनमें से 10 को सामान्य प्रवर्गों के पदों के विरुद्ध ज्येष्ठता एवं गुणागुणों के आधार पर प्रोन्नत किया गया था। उसमें केवल 37 ऐसे व्यक्ति होने के कारण जिन्हें आरक्षित पदों के विरुद्ध प्रोन्नत किया गया था और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नत किए जाने की याचना की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस प्रोन्नति को इस आधार पर अभिखंडित किया था कि इस काडर में पहले ही 22 प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक आरक्षित प्रवर्ग के थे। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने जोगिन्द्र सिंह सेठी वाले मामले में एक स्पष्ट गलती की थी। उक्त मामले पर **जसवंत सिंह** बनाम **सचिव, सरकार, पंजाब, शिक्षा विभाग** [2] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पूर्ण न्यायपीठ द्वारा तत्पश्चात् विचार किया गया था। यह पूर्ण न्यायपीठ जोगिन्द्र सिंह वाले निर्णयाधार से सहमत नहीं हुई थी और उसे आरक्षित कर दिया था।

4. जब किसी विशेष काडर के संबंध में आरक्षण की परिस्थिति नियत की जाती है और रोस्टर रिजर्व अंकों को उपदर्शित

[1] 1982 (2) एस०एल०आर० 307.

[2] 1989 (4) एस०एल०आर० 257.

करता है तो यह समझा जाता है कि रिजर्व अंकों पर दर्शित पद आरक्षित प्रवर्ग के सदस्यों में से भरे जाने हैं और सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने के हकदार नहीं हैं। दूसरी ओर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी गैर आरक्षित पदों के लिए प्रतियोगिता कर सकते हैं और उक्त पदों पर उनकी नियुक्ति की दशा में उनकी संख्या को जोड़ा नहीं जा सकता है और आरक्षण की प्रतिशत निकालने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राज्य सरकार को नियुक्तियों अथवा पदों के किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक के पक्ष में जिसका उस राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है कि आरक्षित करने के लिए उपबंध करने की अनुमति देता है। अतएव राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी हैं कि वह किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछड़े वर्ग/वर्गों का, जिनके लिए आरक्षण किया गया है, राज्य सेवा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। ऐसा करते हुए राज्य सरकार किसी विशेष पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या और उस राज्य की सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रख सकेगी। जब राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् आरक्षण करती है और उक्त पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने के लिए पदों की प्रतिशत तक उपबंध करती है तब उस प्रतिशत का सख्ती के साथ अनुसरण किया जाना होता है। यह विहित की गई प्रतिशत में मात्र इस कारण फेरफार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्यों को पहले ही सामान्य सीटों के विरुद्ध नियुक्त/प्रोन्नत कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया था। रोस्टर अंक जो किसी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किया जाता है, उक्त वर्ग के सदस्य की नियुक्ति/प्रोन्नति के द्वारा भरा जाना है। सामान्य प्रवर्ग के किसी अभ्यर्थी को उस पद के विरुद्ध जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है, नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति राज्य सेवाओं में सामान्य सीटों के विरुद्ध की गई है, उक्त वर्ग के लिए आरक्षण जारी रखने के प्रश्न का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य सरकार के लिए एक सुसंगत तथ्य हो सकेगा किंतु जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कतिपय प्रतिशत का उपबंध करने वाले अनुदेश/नियम प्रवर्तित हैं, उनका अनुपालन किया जाना है। सामान्य प्रवर्ग के पदों के विरुद्ध पिछड़े वर्गों के किसी भी संख्या में नियुक्त किए जाते वाले और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्ति होने के बावजूद दी गई प्रतिशत का उसके अतिरिक्त उपबंध किया जाना है। अतएव हम विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई प्रथम दलील में कोई बल नहीं पाते हैं और उसे रद्द करते हैं।

5. हम याचियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई द्वितीय दलील में पर्याप्त बल पाते हैं। आक्षेपित सरकारी अनुदेशों के अन्तर्गत उपबंधित आरक्षण प्रत्येक विभाग में रखे जाने वाले रोस्टर के अनुसार प्रवर्तित किए जाने हैं। यह रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू लेखे के रूप में लागू होता है। "चालू लेखे" का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग आरक्षित पदों की प्रतिशत प्राप्त करें। आक्षेपित अनुदेशों में चालू लेखे की धारणा का निर्वचन इस प्रकार किया जाना है कि उसके परिणामस्वरूप अत्यधिक आरक्षण न हो। "पदों का 16 प्रतिशत" अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाता है। 100 पदों की एक लॉट में वे जो क्रम संख्या 1, 7, 15, 22, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 80, 87 और 91 पर आते हैं रोस्टर में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं और अलग रखे गए हैं। रोस्टर अंक 26 और 76 पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब किसी काडर के लिए भर्ती आरंभ होती है तब रोस्टर में अलग रखे गए 14 पद अनुसूचित जाति के सदस्यों में से भरे जाने हैं। उदाहरण के तौर पर किसी काडर में पहला पद अनुसूचित जाति को जाना चाहिए और तत्पश्चात् उक्त वर्ग 7वें, 15वें, 22वें और इसी प्रकार से आगे 91वें पद के लिए हकदार होता है। जब किसी काडर में पदों की कुल संख्या रोस्टर के प्रवर्तन द्वारा भरी जाती है तब आक्षेपित अनुदेशों द्वारा अनुध्यात परिणाम प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में 100 पदों के किसी काडर में जब अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए रोस्टर में अलग रखे जाने वाले पद भर लिए जाते हैं तब आरक्षित प्रवर्गों के लिए उपबंधित आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। हम तत्पश्चात् रोस्टर को प्रवर्तित करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं। "चालू लेखा" आक्षेपित अनुदेशों के अन्तर्गत उपबंधित कोटे तक पहुंचने तक ही प्रवर्तित होता है और उसके पश्चात् नहीं होता है। एक बार पदों का विहित प्रतिशत भर जाने पर पर्याप्तता की संख्या विषयक परीक्षण की तुष्टि हो जाती है और तत्पश्चात् रोस्टर बाकी नहीं रहता है। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों का वांछित प्रतिनिधित्व है और उनकी जनसंख्या के संबंध में निकाले गए अनुपात पर आधारित जनसांख्यिकी प्राक्कलन से संगत है। पदों का संख्या विषयक कोटा एक का परिवर्तनशील सीमा नहीं है अपितु एक ऐसे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है जो सम्यक् रूप से मस्तिष्क लगा कर निकाला गया हो। अतएव पिछड़े वर्गों और सामान्य प्रवर्ग के लिए अवसर की समानता को आश्वस्त करने का एकमात्र रास्ता तब तक रोस्टर को प्रवर्तित करने की अनुमति देना है जब तक क्रमिक नियोजिती/प्रोन्नति रोस्टर में उनके लिए अभिप्रेत पदों को ग्रहण न कर लें। रोस्टर का प्रवर्तन "चालू लेखा" तत्पश्चात् समाप्त हो जाना चाहिए। आरंभिक पदों के भरे जाने के पश्चात् उस काडर में उद्भूत होने वाली रिक्तियां कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगी। जैसे और जब किसी विशेष पद में कोई रिक्ति होती है चाहे स्थायी हो या अस्थायी उसे उस प्रवर्ग में से भरा जाना है जिसके लिए रोस्टर में वह पद था। उदाहरण के तौर पर रोस्टर के अंकों 1, 7, 15 पर पद धारण करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सेवानिवृत्त होने पर ये अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से भरी जानी हैं। इसी प्रकार से अंक 8 से 14 अथवा 23 से 29 पर पद धारण करने वाले व्यक्तियों के सेवानिवृत्त होने पर ये सामान्य प्रवर्ग में से भरी जानी हैं। इस प्रक्रिया का अनुसरण

करके आरक्षण की प्रतिशत में न तो कोई गिरावट आएगी न ही कोई अधिकता होगी।

6. "पद" और "रिक्तियां" अभिव्यक्तियां या अभिव्यक्तियों का प्रयोग आरक्षण के लिए उपबंध करने वाले कार्यपालक अनुदेशों में किया जाता है जो अधिक समस्यापूर्ण है। "पद" शब्द से कोई नियुक्ति, सेवा, कार्यालय अथवा नियोजन अभिप्रेत है। एक हैसियत जिसमें किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। "रिक्ति" से कोई अनधिकृत पद या कार्यालय अभिप्रेत है। इन 2 अभिव्यक्तियों के साधारण अर्थ इस बात को स्पष्ट करते हैं कि "रिक्ति" होने के समर्थ बनाने के लिए कोई "पद" अस्तित्व में होना चाहिए। काडर-स्ट्रेंग्थ का मापमान सदैव उस काडर में आने वाले पदों की संख्या से किया जाता है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार के लिए दावा केवल किसी काडर में किसी पद के संबंध में किया जा सकता है। परिणामस्वरूप आरक्षण का प्रतिशत उन पदों की संख्या के संबंध में निकाला जाता है जो काडर-स्ट्रेंग्थ गठित करते हैं। "रिक्ति" की धारणा आरक्षण के प्रतिशत को प्रवर्तित करने में सुसंगत नहीं है।

7. जब किसी काडर में सभी रोस्टर अंक भर लिए जाते हैं तब आरक्षण का अपेक्षित प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। जब सम्पूर्ण काडर में आरक्षण नीति के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाता है तब तत्पश्चात् उस काडर में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को अंतिम व्यक्तियों के प्रवर्ग में से भरा जाना होता है। जिसकी वह क्रमिक रिक्तियां होती हैं। न्या० जीवन रेड्डी ने **इंदिरा साहनी** बनाम **भारत संघ**[1] में बहुमत की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया था :—

> "किसी ऐसी एक इकाई/सेवा/काडर को लें जिसमें एक हजार पद हों। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण 50 प्रतिशत है जिसका अभिप्राय यह है कि एक हजार पदों में से 500 पद इन वर्गों के सदस्यों द्वारा धारित किए जाते चाहिए अर्थात् 270 पद अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा, 150 अनुसूचित जातियों द्वारा और 80 अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे जाने चाहिए। उस समय अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या उक्त इकाई/सेवा/श्रेणी में केवल 50 है और इस प्रकार 220 की कमी है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 20 और 5 है और इस प्रकार 130 और 75 की कमी है। यदि संपूर्ण सेवा/कैडर को एक इकाई के रूप में लिया जाए और संचय (बैकलाग) करने की ईप्सा की जाती है तब अनेक वर्षों तक जब तक कि सभी पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या 500 नहीं पहुंच जाती अर्थात् प्रत्येक पिछड़े वर्ग के लिए नियत कोटा पूरा नहीं कर दिया जाता, खुली प्रतियोगिता का रास्ता बंद पड़ा रहेगा। ऐसा करने में कई वर्ष लग सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष में उद्भूत रिक्तियों की संख्या अधिक नहीं होती। इस दौरान खुली प्रतियोगिता श्रेणी के सदस्य आयु वर्जित हो जाएंगे और अपात्र हो जाएंगे उनके मामले में अवसर की समानता केवल एक मृगतृष्णा बन कर रह जाएगी। यह याद रखना होगा कि खण्ड (1) द्वारा प्रत्याभूत अवसर की समानता इस देश में प्रत्येक व्यष्टिक नागरिक के लिए है जबकि खण्ड (4) सामाजिक रूप से उपेक्षित (असुविधाग्रस्त) वर्गों के पक्ष में विशेष उपबंध करने के लिए अनुध्यात करता है। दोनों उपबंधों को एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाए रखना होगा। किसी एक को इस प्रकार अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए कि वह दूसरे को निस्तेज करे। उपरोक्त कारण से हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि 50 प्रतिशत के नियम को लागू करने के प्रयोजन हेतु एक वर्ष को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए और न कि यथास्थिति संपूर्ण काडर, सेवा या इकाई की कुल संख्या को।

8. उद्धृत मत स्पष्ट रूप से इस बात का उदाहरण देते हैं कि एक एकक के रूप में एक वर्ष में 50 प्रतिशत न कि उस काडर की संपूर्ण स्ट्रेंग्थ का नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) के अन्तर्गत सामान्य प्रवर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाया गया है। इंदिरा साहनी वाले मामले में यह मत केवल उन पदों से संबंधित है जो किसी काडर में आरंभिक रूप से भरे जाते हैं। काडर-स्ट्रेंग्थ को भरने के लिए किसी रोस्टर का प्रवर्तन अपने आप यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहता है। इंदिरा साहनी वाला मामला इस बात के लिए एक नजीर नहीं है कि रोस्टर काडर-स्ट्रेंग्थ पूरा हो जाने और आरक्षण की प्रतिशत प्राप्त हो जाने के पश्चात् बाकी रहता है।

9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने **जे०सी० मलिक और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध करने वाले तारीख 20 अप्रैल, 1970 के रेलवे बोर्ड के परिपत्र का निर्वचन किया था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि आरक्षण का प्रतिशत किसी काडर में पदों के लिए नियुक्ति के संबंध में है। उच्च न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर उस पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यदि किसी काडर में सभी पदों के भरे जाने के पश्चात् रिक्तियों में आरक्षण अनुज्ञात किया जाता है तब इसके गंभीर परिणाम होंगे और सामान्य प्रवर्ग को पर्याप्त रूप से कठिनाई होने की संभावना है। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

---

[1] ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 677.

[1] (1978) 1 एस०एल०आर० 844.

यह सुस्थापित नहीं है कि यद्यपि विधानमंडल को किसी स्टेट्यूट को भूतलक्षी प्रभाव से घोषित करने की शक्ति है फिर भी यह ऐसे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जिससे अनुच्छेद 16(1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। वह दिन जिसको कर्नाटक ऐक्ट प्रभावी हुआ था स्नातक और गैर स्नातक इंजीनियर कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर के थे और एक से ही वेतनमान ले रहे थे। एक सामान्य काडर के स्नातक पदधारियों और गैर स्नातक पदधारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है जहां तक कि सामान्य वेतनमान का संबंध है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। (पैरा 12)

यह समान रूप से सुस्थापित हो गया है कि कोई कानूनी नियम भी जो भूतलक्षी प्रभाव रख सकता हो उसके परिणामस्वरूप सांविधानिक अधिकार में कोई भेदभाव या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। (पैरा 14)

स्थापित विधि की दृष्टि से अतएव यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह अधिनियम जहां तक कि इसमें धारा 2(1)(i) द्वारा कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर का भूतलक्षी प्रभाव से स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) का 2 काडरों में 1-11-1956 से 2 शाखाओं में विभाजन पुरःस्थापित करने की याचना की गई है, विधि के अनुसार अप्रवर्तनीय है। तर्क की समानता के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय को उचित प्रतीत हुआ था जब उसने 1973 की रिट याचिका सं० 3182 में और संबंधित मामलों में यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 2(1)(i) कनिष्ठ इंजीनियर स्नातक और गैर स्नातक दोनों को उपलब्ध सामान्य वेतनमानों को नष्ट करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं की जा सकती। धारा 2(1)(i) भी 1-11-1956 से उक्त सामान्य काडर को 2 शाखाओं में भूतलक्षी प्रभाव से विभाजित करने के लिए प्रवर्तित नहीं की जा सकती। यह केवल भविष्यलक्षी प्रभाव रखेगी। परिणामस्वरूप वेतनमानों के साथ ही साथ कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर का 2 शाखाओं में विभाजन वैध रूप से ज्यादा से ज्यादा 9-1-1974 से प्रभावी होगा जब ऐसी स्कीम को पुरःस्थापित करने वाला उस तारीख का सरकारी आदेश जिस दिन प्रकाश में आया था। इसका भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। (पैरा 15)

दोनों अपीलार्थी 8-1-1974 तक कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर के थे। वह काडर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) के काडरों में 2 शाखाओं में 9-1-1974 से विभाजित हो गया था। अतएव 9-1-1974 को प्रत्यर्थियों से अपीलार्थियों को समुचित काडर में लगाने की अपेक्षा की गई थी। अभिव्यक्त रूप से और स्वीकृत रूप से 9-1-1974 से अपीलार्थियों के पास स्नातक की उपाधियां थीं। वास्तव में उन दोनों के पास उनकी डिग्रियां 1967 और 1970 से भूतलक्षी रूप से थीं। परिणामस्वरूप जब अपीलार्थियों को 9-1-1974 से कनिष्ठ इंजीनियरों के 2 शाखाओं में विभाजित समुचित काडर आबंटित करने का प्रश्न आया था तब प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को 9-1-1974 से स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के 2 शाखाओं में विभाजित काडर का होने के रूप में बरतने के लिए बाध्य थे। अपीलार्थियों द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें 1967 और 1970 से भूतलक्षी प्रभाव से कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का होने के रूप में बरता जाए क्योंकि स्वयं न्यायालय के निष्कर्ष के अनुसार कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का कोई ऐसा काडर उस अवधि के दौरान वर्तमान नहीं था। जुलाई 1969 से 8-1-1974 तक यदि उपधारणा की जाए तो कनिष्ठ इंजीनियरों का एक सामान्य काडर था जिसके अन्य पदधारियों सहित अपीलार्थी थे। कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का काडर 9-1-1974 को प्रकाश में आया था। (पैरा 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1994]	1994 सप्ली० (1) एस०सी०सी० 44 : **के० नारायणन और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य;**	14
[1983]	[1983] 2 एस०सी०आर० 287 : **गुजरात राज्य और एक अन्य** बनाम **रमन लाल केशवलाल सोनी और अन्य।**	13

सिविल अपीली अधिकारिता : 1994 की सिविल अपील सं० 7629-30.

1986 की अपील सं० 4814-15 (टी०) में कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण, कर्नाटक के तारीख 30-1-88 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थियों की ओर से श्री एस० आर० भट्ट

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एम० विरप्पा

न्यायालय का निर्णय माननीय न्या० कुलदीप सिंह, बी० एल० हंसारिया और एस० बी० मजमूदार ने दिया।

न्या० मजमूदार—यह 2 सिविल अपीलें विशेष इजाज़त लेकर 1986 के आवेदन सं० 4814 और 4815 में प्रशासनिक अधिकरण, कर्नाटक के तारीख 30-1-1988 के सामान्य निर्णय को आक्षेपित करने की याचना करते हुए वर्तमान 2 अपीलार्थियों द्वारा की गई हैं। अधिकरण ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया है।

2. अपीलार्थियों की सामान्य व्यथा पर प्रकाश डालने के लिए कुछ प्रारंभिक तथ्यों पर आरंभ में ध्यान दिया जा सकेगा।

अपीलार्थी आरंभिक रूप से इंजीनियरी-में डिप्लोमा रखने वाले थे। उन्हें कर्नाटक राज्य के लोक संकर्म विभाग में वर्ष 1960 और 1961 में पर्यवेक्षकों के रूप में भर्ती किया गया था। तत्पश्चात् अपीलार्थी सं० 1 ने 1967 में सिविल इंजीनियरी में डिग्री अर्जित की थी और अपीलार्थी सं० 2 ने 1970 में इंजीनियरी में स्नातक किया था। उनकी भर्ती के समय सुसंगत भर्ती नियमों में यह अनुध्यात था कि केवल डिग्रीधारक कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं, अतः डिप्लोमाधारकों को सर्वेक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता था। 1969 में यह स्थिति परिवर्तित हो गई थी और कनिष्ठ इंजीनियर और पर्यवेक्षकों के दोनों काडरों को कनिष्ठ इंजीनियर के एक काडर में आमेलित किया गया था। इसके पश्चात् कर्नाटक राज्य के एक आदेश द्वारा 1971 में 1-1-1957 से भूतलक्षी प्रभाव से समान वेतनमान, स्नातक और डिप्लोमाधारक दोनों कनिष्ठ इंजीनियरों को दिया गया था। कर्नाटक राज्य ने तारीख 9-1-1974 के एक दूसरे आदेश द्वारा इस सेवा को 2 काडरों में अर्थात् कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) में विभाजित करने की याचना की थी। पूर्ववर्ती काडर में डिग्री धारक आते थे और पश्चात्वर्ती में डिप्लोमाधारक आते थे। इन काडरों के इस विभाजन को 3-7-1969 से भूतलक्षी प्रभाव देने की याचना की गई थी। इस भूतलक्षी प्रभाव से विभाजन को कर्नाटक स्टेट सिविल सर्विसेस (क्लासिफिकेशन एंड स्केल आफ पे आफ नॉन ग्रेज्युएट जूनियर इंजीनियर आफ दी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) ऐक्ट, 1975 [कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर, लोक संकर्म विभाग) अधिनियम, 1975] को 1975 का अधिनियम सं० 9 कहलाए जाने वाली एक अधिनियमिती द्वारा समर्थित किए जाने की याचना की गई थी। इस अधिनियम में कर्नाटक राज्य के लोक संकर्म विभाग के गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों को ग्राह्य वर्गीकरण और वेतनमान के लिए उपबंध किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 द्वारा गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों को पहली नवम्बर, 1965 से भूतलक्षी प्रभाव से वर्तमान होने वाला घोषित किया गया था। उक्त अधिनियम की उपधारा 2(1)(ii) द्वारा यह उपबंध किया गया था कि ऐसे गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों को ग्राह्य वेतनमान केवल वे थे जो ऐसे प्रवर्ग के पदों के लिए विनिर्दिष्ट थे न कि वे जो कनिष्ठ इंजीनियर स्नातकों के पदों को ग्राह्य थे। इन वेतनमानों को भी 1-11-1956 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था।

3. पूर्वोक्त काडरों का 2 शाखाओं में विभाजन 1973 की रिट याचिका सं० 3182 द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में आक्षेपित किया गया था। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान 1975 का कर्नाटक अधिनियम 9 प्रवृत्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 1-9-1981 के विनिश्चय द्वारा यह मत अपनाया था कि कनिष्ठ इंजीनियरों के संयोजित काडर का 2 शाखाओं में विभाजन जो 1969 से 1974 तक इस क्षेत्र में था 9-1-1974 से स्नातक और गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के पृथक् वेतनमानों के प्रयोजनार्थ प्रवर्तित रह सकता था। जहां तक कि इस अधिनियम को 1974 के पूर्व की अवधि तक उसके प्रवर्तन को भूतलक्षी प्रभाव देने की याचना की गई थी, उसे अविधिमान्य समझा गया था। तद्नुसार मेंडेमस की एक रिट गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर याचियों द्वारा 9-1-1974 से पूर्व की किसी अवधि के लिए प्राप्त किए गए वेतन के किसी भाग को वसूल करने से प्रत्यर्थियों को अवरुद्ध रखने के लिए जारी की गई थी और एक मेंडेमस (परमादेश) की रिट उस वेतन का संदाय करने के लिए जारी की गई थी जो उन्हें 9-1-1974 तक उपगत हुआ था, और जो संदत्त नहीं किया गया था। यह रिट याचिकाएं आंशिक रूप से तद्नुसार मंजूर की गई थीं।

4. यह उसके पश्चात् ही हुआ था कि अपीलार्थियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में, प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के विरुद्ध, उन्हें अपीलार्थियों को कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के रूप में उनके स्नातक की वर्तमान अर्हता के प्रकाश में बरतने का निदेश देने वाला समुचित आदेश जारी करने के लिए रिट याचिकाएं फाइल करके समावेदन किया था। उक्त निदेश की याचना अपीलार्थी सं० 1 के लिए 3-7-1989 से की गई थी जिस तारीख को राजपत्रित अधिसूचना द्वारा कनिष्ठ इंजीनियरों का एक संयोजित काडर प्रवर्तित किया गया था, जबकि एक वैसे ही निदेश की याचना 1970 से वह तारीख जिसको उसने स्नातक किया था अपीलार्थी सं० 2 के लिए की गई थी।

5. यह रिट याचिकाएं कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित कर दी गई थीं जो इस बीच स्थापित हो गया था। अधिकरण ने अपने आक्षेपित सामान्य आदेश द्वारा इन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिन्हें आवेदनों के रूप में माना गया था। अधिकरण ने यह मत अपनाया था कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का तारीख 1-9-1981 का विनिश्चय जिसका जोरदार अवलंब लिया गया था, अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था जो केवल वेतनमानों के भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षण के संबंध में था, यह कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने कर्नाटक अधिनियम के भूतलक्षी प्रभाव को 9-1-1974 के पूर्व की किसी तारीख से कनिष्ठ इंजीनियर स्नातकों और गैर स्नातकों के लिए पृथक् वेतनमान नियत करने के पहलू पर ही अभिखंडित कर दिया था। किंतु कनिष्ठ इंजीनियरों के काडर का कनिष्ठ इंजीनियर स्नातक (खंड-1) और गैर-स्नातक (खंड-2) में भूतलक्षी प्रभाव से 2 शाखाओं में विभाजन को उच्च न्यायालय द्वारा छुआ भी नहीं गया था। परिणामस्वरूप कनिष्ठ इंजीनियरों के संयोजित काडर का कनिष्ठ इंजीनियर-स्नातक और गैर स्नातक के पृथक् काडरों में इस प्रकार 2 शाखाओं में विभाजन को 1-11-1956 से प्रवर्तित होने वाला बरता गया था। अधिनियम के अनुसार अपीलार्थियों को कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के काडर का होने के रूप में बरतने का कोई प्रश्न नहीं था, इसी प्रकार से गैर स्नातक पर्यवेक्षक भी कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के काडर में सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे चाहे उन्होंने सेवा में रहते हुए डिग्रियां अर्जित कर ली हों।

6. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हम

इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिकरण के विनिश्चय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

7. निस्संदेह यह सत्य है कि अपीलार्थी ने गैर स्नातक डिप्लोमाधारक पर्यवेक्षकों के रूप में कर्नाटक राज्य की सेवा ग्रहण की थी किंतु 18 जून, 1969 की सरकारी अधिसूचना द्वारा मैसूर राज्य के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक लोक निर्माण विभाग सेवा (भर्ती) नियम, 1969 (कर्नाटक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स, 1969) को संशोधित किया था। उक्त संशोधन 3-7-1969 से प्रभावी हुआ था जब उक्त अधिसूचना राजपत्रित की गई थी। भर्ती नियमों में उक्त संशोधन द्वारा कनिष्ठ इंजीनियरों का एक संयोजित काडर विरचित किया गया था और पर्यवेक्षकों के पदों के प्रवर्ग का लोप नियमों की अनुसूची में कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों से संबंधित प्रविष्टि से किया गया था। परिणाम यह था कि 3-7-1989 से सरकारी अधिसूचना के कारण भर्ती नियमों के संशोधन के अनुसरण में कनिष्ठ इंजीनियरों का एक संयोजित काडर सामने आया था और समस्त तत्कालीन पदधारियों को चाहे स्नातक हो या गैर स्नातक, कनिष्ठ इंजीनियरों के एक सामान्य काडर में समान रूप से रखा गया था। स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों और गैर-स्नातकों पर्यवेक्षकों के बीच पूर्ववर्ती प्रभेदीकरण को समाप्त कर दिया गया था। अपीलार्थी जो पूर्ववर्ती पर्यवेक्षक थे अतएव पूर्वोक्त सरकारी अधिसूचना के अनुसरण में कनिष्ठ इंजीनियर बन गए थे। उनकी परस्पर ज्येष्ठता कनिष्ठ स्नातक इंजीनियरों के समान उन सभी को एक सामान्य कनिष्ठ इंजीनियर काडर का बरतते हुए, तद्नुसार अवधारित की जानी चाहिए थी।

8. यह स्थिति न केवल जारी रही थी बल्कि तारीख 5-3-1971 के सरकारी आदेश द्वारा और भी स्पष्ट की गई थी जिसके द्वारा स्नातक और गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों के लिए वेतनमानों की समानता 1-1-1957 से भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी पर्यवेक्षक जो पूर्ववर्ती गैर स्नातक थे, वही वेतनमान लेने के लिए हकदार हो गए थे जो स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों का था क्योंकि उनमें से सभी 3-7-1969 से और उसके बाद कनिष्ठ इंजीनियरों के एक ही काडर के थे। यह स्थिति 9-1-1974 तक बनी रही थी जब एक सरकारी आदेश द्वारा कनिष्ठ इंजीनियरों के वर्तमान काडर का 2 शाखाओं में विभाजन स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए (खंड-2) के पदों को पुन: वर्गीकृत करके प्रभावी किया गया था।

9. निश्चय ही यह सत्य है कि 2 शाखाओं में विभाजन करने की याचना 3-7-1969 से भूतलक्षी प्रभाव से की गई थी और इसीलिए 1975 का पश्चात्वर्ती अधिनियम 9 भी ऐसा करने के लिए आशयित था। इस बात पर ध्यान दिया जाना है कि 52 याची जिन्होंने 1973 की रिट याचिका सं० 3182 और अन्य के माध्यम से उच्च न्यायालय में समावेदन किया था जिसका विनिश्चय 9-1-1981 को किया गया था, मुख्य रूप से आक्षेपित आदेश के आधार पर उनके वेतन से वसूली करवाए जाने से और कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर का 3-7-1969 से भूतलक्षी प्रभाव से 2 शाखाओं में विभाजित करने वाले और 2 काडरों के लिए पृथक् वेतनमानों को प्रभावी करवाने वाले अधिनियम द्वारा व्यथित थे। यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश द्वारा उन याचियों को यह अभिनिर्धारित करके अनुतोष दिया था कि इस अधिनियम का जिसके द्वारा वेतनमानों पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की याचना की गई थी, भूतलक्षी संशोधन को कायम रखा जा सकेगा।

10. अधिकरण अतएव उस समय ठीक था जब उसने यह मत अपनाया था कि उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय में कहीं भी अभिव्यक्त रूप से यह अधिकथित नहीं किया गया था कि यह अधिनियम वहीं तक अविधिमान्य था जहां तक इसने कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर के 2 शाखाओं में विभाजन को 3-7-1969 से भूतलक्षी प्रभाव दिया था और यह उसी आधार पर था कि अधिकरण ने अपीलार्थियों के वाद को खारिज कर दिया था। किंतु हमारी राय में अधिकरण का अंतिम निष्कर्ष पूर्ण रूप से कायम रखे जाने योग्य नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा एक बार यह मत अपनाने पर कि कनिष्ठ इंजीनियरों के पूर्ववर्ती वर्तमान सामान्य काडर के वेतनमान का 2 शाखाओं में भूतलक्षी प्रभाव से विभाजन गलत था, तर्क की समानता और एक तर्कसंगत अंश के रूप में इसका यह परिणाम होना चाहिए कि उस सामान्य काडर का 2 शाखाओं में विभाजन भी गलत होगा, अन्यथा एक असंगत और अस्पष्ट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात् कनिष्ठ इंजीनियरों के 2 शाखाओं में विभाजित दोनों काडरों के लिए, जो स्नातकों को अन्तर्विष्ट करने वाले खंड-1 और गैर स्नातकों को अन्तर्विष्ट करने वाले कनिष्ठ इंजीनियर खंड-2 हैं, का सामान्य वेतनमान (जो वास्तविक रूप से कनिष्ठ इंजीनियर खंड-1 के उच्चतर काडर के लिए अभिप्रेत है) 3-7-1969 से कर्नाटक ऐक्ट, 1975 का कर्नाटक अधिनियम 9 के प्रभावी होने की तारीख तक प्रवर्तित रहेगा। यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त स्थिति अत्यंत भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रतिकूल होगी क्योंकि, इसका परिणाम स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर खंड-1 के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण भेदभाव और गैर स्नातक कनिष्ठ इंजीनियर खंड-2 के पक्ष में भेदभाव करना होगा।

11. यह भी ध्यान में रखा जाना है कि 1973 की रिट याचिका 3182 और अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विनिश्चय पर राज्य द्वारा मौन स्वीकृति दे दी गई है और अंतिम हो गया है। यह स्पष्ट है कि यदि उक्त विनिश्चय के अनुसार कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) के लिए पृथक् वेतनमान 3-7-1969 से भूतलक्षी प्रभाव से चलाए नहीं जाने हैं। इससे आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 पृथक् काडरों का ऐसा 2 शाखाओं में भूतलक्षी प्रभाव से विभाजन भी 3-7-1969

से कायम नहीं रखा जा सकता है। पृथक् काडर पृथक् वेतनमानों से अलग होकर चल नहीं सकते हैं। कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडरों का स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) का 2 पृथक् काडरों में भूतलक्षी प्रभाव से 2 शाखाओं में विभाजन पृथक् वेतनमानों के साथ चल सकता है या बिल्कुल नहीं चल सकता है।

12. इस संबंध में अधिकरण ने इस विधि की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया है। यह सुस्थापित नहीं है कि यद्यपि विधान मंडल को किसी स्टेट्यूट को भूतलक्षी प्रभाव से घोषित करने की शक्ति है फिर भी यह ऐसे तरीके से नहीं किया जाना चाहिए जिससे अनुच्छेद 16(1) के साथ पठित अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। वह दिन जिसको कर्नाटक ऐक्ट प्रभावी हुआ था स्नातक और गैर स्नातक इंजीनियर कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर के थे और एक से ही वेतनमान ले रहे थे। एक सामान्य काडर के स्नातक पदधारियों और गैर स्नातक पदधारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है जहां तक कि सामान्य वेतनमान का संबंध है जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। यदि ऐसा है तो यह अधिनियम अपने भूतलक्षी प्रभाव द्वारा एक सामान्य काडर के उन सभी पदधारियों के मूल अधिकारों को सामान्य काडर से मिलने वाले समस्त अन्य उपलब्ध सेवा के फायदों के लिए समान रूप से बरत कर नष्ट नहीं कर सकता।

13. इस संबंध में **गुजरात राज्य और एक अन्य** बनाम **रमन लाल केशवलाल सोनी और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के एक विनिश्चय के प्रति लाभदायी रूप से निर्देश किया जा सकेगा। पृष्ठ 319 और 320 पर न्या० चिनप्पा रेड्डी ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित विशिष्ट मत अभिव्यक्त किए हैं :—

> "यदि हम विधानमंडल द्वारा विरचित विधि के प्रति निर्देश से ऐसे पद का प्रयोग कर सकते हैं तो विधान शुद्धतः और साधारणतः अपने-आप में धोखा है। निस्संदेह विधानमंडल विद्यमान विधियों के अधीन अर्जित किसी निहित अधिकार को ले लेने के लिए या उसे कम करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए विधान विरचित करने के लिए सक्षम है किन्तु चूंकि विधियां लिखित संविधान के अधीन विरचित की गई हैं और संविधान के अधीन जो करना है और जो नहीं करना के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए विधियां न तो भविष्यलक्षी और न ही भूतलक्षी रूप में इस प्रकार विरचित की जा सकती हैं जिससे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। उस विधि द्वारा पक्षकारों के प्रोद्भूत या अर्जित अधिकारों पर ध्यान देते हुए आज संविधान की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। विधि में यह नहीं कहा जा सकता कि बीस वर्ष पहले पक्षकारों के कोई अधिकार नहीं थे इसलिए संविधान की अपेक्षाएं उसी समय पूरी होंगी यदि विधि बीस वर्ष पहले की है। हमारा संबंध आज के अधिकारों से है न कि भविष्य के अधिकारों से। विधानमंडल बीस वर्ष पहले की स्थिति के संदर्भ में आज विधान विरचित नहीं कर सकता और बीस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत घटनाक्रम और असंवैधानिक अधिकारों से इंकार नहीं कर सकता। यह बात अवश्य ही इतिवृत्त की दृष्टि से मनमानी, अयुक्तियुक्त और खंडनकारी होगी। यह बी०एस० यादव और अन्य **बनाम** हरियाणा राज्य और अन्य [1981] 3 उम०नि०प० 1363=[1981] 1 एस०सी०आर० 1024 वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा बताया गया था। न्यायालय की ओर से निर्णय देते हुए मुख्य न्यायाधिपति वाई०वी० चन्द्रचूड़ ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया—"क्योंकि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग करते हैं इसलिए उन्हें इस बात की छूट है कि वे उस उपबन्ध के अधीन बनाए गए नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दे सकते हैं किन्तु उस तारीख का जिससे नियमों को लागू किया जाता है, या तो नियमों के स्वरूप से या किसी बाह्य साक्ष्य द्वारा नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों से युक्तियुक्त अन्तरसंबंध होना चाहिए और विशेषकर उस समय जब भूतलक्षी प्रभाव को जैसा कि इस मामले में किया गया है, एक लम्बी अवधि से लागू किया जाना हो।" आज समान को यह कहकर असमान नहीं बनाया जा सकता कि वे 20 वर्ष पहले असमान थे और हम आज विधि विरचित करके और उसे भूतलक्षी प्रभाव देकर पुनःस्थापित करेंगे। इस प्रकार सांविधानिक अधिकार, सांविधानिक बाध्यताएं और सांविधानिक परिणाम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई विधि जो यदि आज विरचित की जाती है, स्पष्टतः विद्यमान परिस्थिति के संदर्भ में संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण अविधिमान्य होंगी, भूतलक्षी प्रभाव देकर विधिमान्य नहीं बनाई जा सकती। भूतलक्षी विधियां विरचित करके विगत विशेषता (सांविधानिक) का प्रयोग वर्तमान दोष (सांविधानिक) दूर करने के लिए नहीं किया जा सकता।"

14. समान रूप से यह सुस्थापित हो गया है कि कोई कानूनी नियम भी जो भूतलक्षी प्रभाव रख सकता हो उसके परिणामस्वरूप सांविधानिक अधिकार में कोई भेदभाव या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। **के० नारायणन और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में न्या० आर०एम० सहाय ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस संबंध में निम्नलिखित मत अभिव्यक्त किया है :—

---

[1] [1983] 2 एस०सी०आर० 287.

[1] (1994) सप्ली० 1 एस०सी०सी० 44.

"नियम भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होते हैं। भविष्यलक्षिता अपवाद है। वहां भी जहां स्टेट्यूट भूतलक्षी प्रभाव से इस नियम के विरचित किए जाने की अनुमति देता है वहां भी शक्ति का प्रयोग भेदभावपूर्वक अथवा किसी सांविधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए जिससे कि निहित अधिकार पर प्रभाव पड़े। नियम बनाने वाले प्राधिकारी को प्रसामान्य रूप से भूतकाल में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति अनुज्ञात करने वाला और उसे रिक्ति के उपलब्ध होने के अधीन रहते हुए 1976 से प्रवर्तित करने वाला 1985 में बनाए गए आक्षेपित नियम का प्रभावी रूप से परिणाम 1986 में एक कनिष्ठ इंजीनियर की नियुक्ति को 1976 से प्रभावी रूप से करना था। नियमों की भूतलक्षिता कनिष्ठ इंजीनियरों की किसी पिछली तारीख से नियुक्ति के लिए छलावरण है। यह नियम उन सभी सहायक इंजीनियरों के विरुद्ध विद्वेषी रूप से प्रवर्तित होता है जिनकी नियुक्ति 1976 से 1985 के बीच की गई थी।"

15. अतएव इस स्थापित विधि की दृष्टि से यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यह अधिनियम जहां तक कि इसमें धारा 2(1)(i) द्वारा कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर का भूतलक्षी प्रभाव से स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) का 2 काडरों में 1-11-1956 से 2 शाखाओं में विभाजन पुरःस्थापित करने की याचना की गई है, विधि के अनुसार अप्रवर्तनीय है। तर्क की समानता के आधार पर वह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय को उचित प्रतीत हुआ था जब उसने 1973 की रिट याचिका सं० 3182 में और संबंधित मामलों में यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 2(1)(i) कनिष्ठ इंजीनियर स्नातक और गैर स्नातक दोनों को उपलब्ध सामान्य वेतनमानों को नष्ट करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं की जा सकती। धारा 2(1)(i) भी 1-11-1956 से उक्त सामान्य काडर को 2 शाखाओं में भूतलक्षी प्रभाव से विभाजित करने के लिए प्रवर्तित नहीं की जा सकती। यह केवल भविष्यलक्षी प्रभाव रखेगी। परिणामस्वरूप वेतनमानों के साथ ही साथ कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर का 2 शाखाओं में विभाजन वैध रूप से ज्यादा से ज्यादा 9-1-1974 से प्रभावी होगा जब ऐसी स्कीम को पुरःस्थापित करने वाला उस तारीख का सरकारी आदेश जिस दिन प्रकाश में आया था। इसका भी भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है।

16. एक बार पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने पर परिणाम स्पष्ट हो जाता है। दोनों अपीलार्थी 8-1-1974 तक कनिष्ठ इंजीनियरों के सामान्य काडर के थे। वह काडर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) और गैर स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-2) के काडरों में 2 शाखाओं में 9-1-1974 से विभाजित हो गया था। अतएव 9-1-1974 को प्रत्यर्थियों से अपीलार्थियों को समुचित काडर में लगाने की अपेक्षा की गई थी। अभिव्यक्त रूप से और स्वीकृत रूप से 9-1-1974 से अपीलार्थियों के पास स्नातक की उपाधियां थीं। वास्तव में उन दोनों के पास उनकी डिग्रियां 1967 और 1970 से जैसा कि हमारे द्वारा पहले कहा गया है भूतलक्षी रूप से थीं। परिणामस्वरूप जब अपीलार्थियों को 9-1-1974 से कनिष्ठ इंजीनियरों के 2 शाखाओं में विभाजित समुचित काडर आबंटित करने का प्रश्न आया था तब प्रत्यर्थी अपीलार्थियों को 9-1-1974 से स्नातकों के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के 2 शाखाओं में विभाजित काडर का होने के रूप में बरतने के लिए बाध्य थे। अपीलार्थियों द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्हें 1967 और 1970 से भूतलक्षी प्रभाव से कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का होने के रूप में बरता जाए क्योंकि स्वयं हमारे निष्कर्ष के अनुसार कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का कोई ऐसा काडर उस अवधि के दौरान वर्तमान नहीं था। जुलाई, 1969 से 8-1-1974 तक यदि उपधारणा की जाए तो कनिष्ठ इंजीनियरों का एक सामान्य काडर था जिसके अन्य पदधारियों सहित अपीलार्थी थे। कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) का काडर 9-1-1974 को प्रकाश में आया था जैसा हमने पहले चर्चा की है।

17. इस प्रकार अपीलार्थियों को कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) के 2 शाखाओं में विभाजित काडर का होने के रूप में 9-1-1974 से पूर्व किसी तारीख से बरते जाने का कोई प्रश्न नहीं है जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है। अपीलार्थी अतएव निम्नलिखित विस्तार तक आंशिक अनुतोष के लिए हकदार हैं। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को अपीलार्थियों को कनिष्ठ इंजीनियर (खंड-1) होने के रूप में बरतने का निदेश दिया गया था, (जिसे अब सहायक इंजीनियर पदाभिहीत किया गया है) के रूप में 9-1-1974 से बरतने का और अपीलार्थियों का वेतन सहायक इंजीनियरों को लागू होने वाले वेतनमान में उसी तारीख से नियत करने का और अपीलार्थियों को सभी पारिणामिक फायदे जिसमें वेतन की बकाया, दिए जाने वाले रैंक और उस आधार पर सहायक इंजीनियर के काडर में ज्येष्ठता सम्मिलित हैं, अपीलार्थियों को भी देने का निदेश दिया था।

18. ये अपीलें पूर्वोक्त सीमा तक मंजूर की गई हैं। अधिकरण का सामान्य निर्णय और आदेश अपास्त हो जाएगा और प्रस्तुत विनिश्चय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

अपीलें आंशिक रूप से मंजूर की गईं।

ता०